

पत्रांक-22/सं0नि0-02/2017 सा0प्र0 9893/
बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

भीम प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक...02 अगस्त, 2017

विषय:- भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों के संविदा के आधार पर नियोजन हेतु चयन का प्रस्ताव चयन समितियों को भेजते समय जाँच-पत्र में सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0-10,000 दिनांक-10.07.2015 की कंडिका-3 (2)(क) के तहत भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले तथा कंडिका-3 (2)(ख) के तहत पूर्व से सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा नियोजन के संबंध में दिशा-निर्देश प्रावधानित किये गये हैं। संकल्प की अन्य कंडिकाओं के तहत दोनों प्रकार के सरकारी सेवकों के नियोजन हेतु सामान्य प्रावधान निरूपित हैं।

2. चयन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु संकल्प के प्रावधानों के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-3815 दिनांक-11.03.2016 की अनुसूची-1 में अंकों के निर्धारण तथा अनुसूची-2 के तहत पूर्व से सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के संबंध में विस्तृत सूचना प्राप्त करने हेतु जाँच-पत्र परिचारित किये गये हैं। परन्तु, सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों के संविदा नियोजन हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने के क्रम में संबंधित विभाग/कार्यालय द्वारा नियोजन के इच्छुक कर्मियों से संबंधित सूचनाएँ उपलब्ध नहीं कराये जाने से चयन समितियों द्वारा अनुशंसा करने में कठिनाई अनुभव की जाती है।

3. अतः अनुरोध है कि भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों के संविदा नियोजन हेतु संकल्प सं0-10,000 दिनांक-10.07.2015 की कंडिका-3 (2)(क) के प्रावधानों के आलोक में प्रस्ताव भेजते समय संबंधित सरकारी सेवकों के संबंध में संलग्न अनुसूची में विस्तृत सूचना संचिका के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन


(भीम प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुसूची

भविष्य में सेवानिवृत्त होनेवाले सरकारी सेवकों के संविदा के आधार पर नियोजन हेतु चयन का प्रस्ताव चयन समितियों को भेजने हेतु जाँच-पत्र।

1	विभाग/कार्यालय का नाम।	
2	पद का नाम जिस पर संविदा नियोजन प्रस्तावित है।	
3	प्रस्तावित पद संकल्प सं०-10,000 दिनांक-10.07.2015 की अनुसूची के किस क्रमांक पर शामिल है।	
4	(i) अभ्यर्थी (जिसका संविदा नियोजन प्रस्तावित है) का नाम एवं पदनाम, (जिस पद से सेवानिवृत्त होनेवाले हैं)। (ii) उक्त पद पर कार्यानुभव की अवधि।	
5	(i) विभाग/कार्यालय का नाम, जहाँ से अभ्यर्थी सेवानिवृत्त होनेवाले हैं। (ii) विभाग/कार्यालय में कार्यानुभव की अवधि।	
6	(i) अभ्यर्थी की जन्म तिथि (ii) सेवानिवृत्ति की तिथि।	
7	अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक वाद/निगरानी वाद/विभागीय कार्यवाही लंबित है या नहीं।	
8	असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र संलग्न है या नहीं।	

प्रस्ताव चयन समिति को अग्रसारित करने वाले विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर।